

**1. कंपनी के बारे में:**

- 1.1 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तथा भारत की एक अग्रणी एरोस्पेस एवं रक्षा कंपनी है। पिछले आठ दशकों से अधिक समय से एचएएल विमान, हेलिकॉप्टर, एरो-इंजन, सहायक उपकरण, वैमानिकी तथा प्रणालियों के अभिकल्प, विकास, विनिर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत, ओवरहॉल तथा उन्नयन के माध्यम से राष्ट्र की एरोस्पेस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत के सात राज्यों तथा दस भौगोलिक स्थानों में एचएएल के 20 प्रभाग एवं 10 अनुसंधान एवं विकास केंद्र कार्यरत हैं।
- 1.2 एचएएल एक एकीकृत एरोस्पेस एवं रक्षा संगठन के रूप में विकसित हुआ है और इसने विमान, हेलिकॉप्टर, एरो-इंजन, सहायक उपकरण, वैमानिकी तथा प्रणालियों के अभिकल्प, विकास, विनिर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत, ओवरहॉल तथा उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा उत्पादन प्रभाग अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित हैं, ताकि विभिन्न प्रकार के एरोस्पेस एवं रक्षा प्लेटफॉर्म तथा प्रौद्योगिकियों का अभिकल्प, विकास और विनिर्माण किया जा सके। एचएएल ने विमान उन्नयन, वैमानिकी एकीकरण तथा आयुध एकीकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विशेषज्ञता विकसित की है। एचएएल के प्रमुख ग्राहकों में भारतीय वायु सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल शामिल हैं। एचएएल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी एक प्रमुख भागीदार है।
- 1.3 अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, एचएएल अत्यावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालकों के रूप में नियुक्ति हेतु युवा, ऊर्जावान तथा परिणामोन्मुखी स्नातक अभ्यर्थाओं/व्यावसायिकों की तलाश कर रहा है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एचएएल के उत्पादन, ओवरहॉल एवं सेवा प्रभागों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों तथा कार्यालयों में की जाएगी, जो बेंगलुरु एवं तुमकुरु (कर्नाटक), हैदराबाद (तेलंगाना), नासिक (महाराष्ट्र), कोरापुट (ओडिशा), बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), लखनऊ, कानपुर तथा कोरवा (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

**2. रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण**

श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | पदनाम                             | विषय           | एससी | एसटी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | यूआर | कुल |
|----------|-----------------------------------|----------------|------|------|-------|------------|------|-----|
| 1        | अत्यावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालक | एरोनॉटिकल      | 0    | 0    | 1     | 0          | 1    | 2   |
| 2        |                                   | केमिकल         | 0    | 0    | 1     | 0          | 1    | 2   |
| 3        |                                   | सिविल          | 1    | 0    | 1     | 0          | 5    | 7   |
| 4        |                                   | कंप्यूटर साइंस | 1    | 0    | 1     | 1          | 3    | 6   |
| 5        |                                   | इलेक्ट्रिकल    | 4    | 2    | 6     | 3          | 10   | 25  |
| 6        |                                   | इलेक्ट्रॉनिक्स | 3    | 2    | 5     | 2          | 9    | 21  |
| 7        |                                   | मैकेनिकल       | 15   | 7    | 21    | 8          | 27   | 78  |
| 8        |                                   | मेटलर्जी       | 0    | 0    | 1     | 0          | 2    | 3   |
| 9        |                                   | प्रोडक्शन      | 1    | 0    | 1     | 1          | 3    | 6   |
| कुल      |                                   |                | 25   | 11   | 38    | 15         | 61   | 150 |

एससी – अनुसूचित जाति; एसटी – अनुसूचित जनजाति; ओबीसी (एनसीएल) – अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर); ईडब्ल्यूएस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर – अनारक्षित।

**2.2 ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए:**

- ए. अभ्यर्थी क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होना चाहिए। ओबीसी अभ्यर्थी, जो क्रिमी लेयर से संबंधित हैं, वे ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के लिए स्वीकार्य छूट के हकदार नहीं हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को यूआर के रूप में इंगित करना होगा;
- बी. अभ्यर्थी की जाति एवं समुदाय का नाम 'केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची' में होना चाहिए और
- सी. यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो दिनांक 17.10.2026 को छह माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

**2.3 ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, प्रचलित सरकारी निर्देशों के अनुसार होगा।**

## 2.4 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए रिक्त पदों में आरक्षण

2.4.1 दिव्यांगजन के लिए रिक्तियों में आरक्षण, सरकारी निर्देशों के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर कनिष्ठ कार्यपालकों के पदों के लिए सभी श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग में वितरित किया जाएगा। 40 प्रतिशत से कम नहीं की चिन्हित दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ के लिए पात्र होंगे।

2.4.2 जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.4.3 पदवार चिन्हित दिव्यांगताओं का विवरण निम्नानुसार है:

| पद का नाम / विषय | दृष्टि संबंधी दिव्यांगता | श्रवण संबंधी दिव्यांगता | चलन संबंधी दिव्यांगता                                                     | अन्य दिव्यांगताएँ  |                                        | आरक्षित पदों की संख्या |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                  | (ए.)                     | (बी)                    | (सी)                                                                      | (डी)               | (ई)                                    | (एफ)                   |
| एरोनॉटिकल        | —                        | एचएच                    | ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई                        | एससडी (एम), एसएलडी | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों | 06                     |
| सिविल            | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई            | एसएलडी             | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| कंप्यूटर साइंस   | बी, एलवी                 | डी, एचएच                | ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई                | एसएलडी             | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| केमिकल           | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, सीपी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई                  | एसएलडी             | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| इलेक्ट्रिकल      | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, बीएल, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई | एससडी (एम), एसएलडी | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| इलेक्ट्रॉनिक्स   | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई            | एससडी (एम), एसएलडी | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| प्रोडक्शन        | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई                  | एसएलडी             | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| मैकेनिकल         | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई                  | एसएलडी             | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |
| मेटलर्जी         | —                        | डी, एचएच                | ओए, ओएल, सीपी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीडी/एसआईडी, एसडी/एसआई                  | एसएलडी             | एमडी, जिसमें (बी) से (डी) सम्मिलित हों |                        |

बी = दृष्टिबाधिता, एलवी = अल्पदृष्टि, डी = बधिरता, एचएच = श्रवणबाधिता, ओए = एक भुजा, बीए = दोनों भुजाएँ, ओएल = एक पैर, बीएल = दोनों पैर, ओएल = एक भुजा एवं एक पैर, बीएलओए = दोनों पैर एवं एक भुजा, बीएलए = दोनों पैर एवं दोनों भुजाएँ, सीपी = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, एलसी = कुष्ठ रोग से उपचारित, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = अम्ल आक्रमण पीड़ित, एसडीडी/एसआईडी = संबंधित तंत्रिका संबंधी / अंग विकार सहित रीढ़ की विकृति/रीढ़ की चोट, जो संबंधित गतिशीलता दिव्यांगता (ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएल, बीएलओए, बीएलए) में से संबंधित पद के लिए निर्धारित की गई है, एसडी/एसआई = बिना किसी संबंधित तंत्रिका संबंधी / अंग विकार के रीढ़ की विकृति/रीढ़ की चोट, एससडी (एम) = ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (हल्का), एसएलडी = विशिष्ट अधिगम अक्षमता, एमडी = खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसमें बधिरता एवं दृष्टिबाधिता भी शामिल है।

### 3. अपेक्षित योग्यता:

- 3.1 भिन्न पदों के लिए अल्पावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालकों की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता निम्नानुसार है: भारत में सक्षम सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 10+2+4 प्रणाली (इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रवेश के मामले में 10+3+3 प्रणाली) के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई इंजीनियरिंग की शाखाओं/पात्र शाखाओं में नियमित/पूर्णकालिक इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिग्री प्राप्त की हो।

| क्षेत्र        | पात्र शाखाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एरोनॉटिकल      | एरोस्पेस<br>एरोनॉटिकल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सिविल          | सिविल इंजीनियरिंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कंप्यूटर साइंस | कंप्यूटर साइंस<br>कंप्यूटर इंजीनियरिंग<br>कंप्यूटर साइंस एवं आईटी<br>इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी<br>इन्फॉर्मेशन साइंस एवं टेक्नोलॉजी<br>कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग<br>इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स<br>इन्फॉर्मेशन साइंस एवं इंजीनियरिंग<br>सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग<br>कंप्यूटर टेक्नोलॉजी<br>कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग<br>कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)<br>कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग)<br>कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (साइबर सिक्योरिटी)<br>कंप्यूटर एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग<br>कंप्यूटर नेटवर्किंग |
| केमिकल         | केमिकल इंजीनियरिंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इलेक्ट्रिकल    | इलेक्ट्रिकल<br>इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स<br>इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन<br>इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग<br>इलेक्ट्रिकल एवं पावर इंजीनियरिंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | इलेक्ट्रॉनिक्स<br>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन<br>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन<br>इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी)<br>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंट्रोल सिस्टम्स<br>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन (कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रोडक्शन      | औद्योगिक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग<br>प्रोडक्शन इंजीनियरिंग<br>औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं प्रोडक्शन<br>मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग<br>प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट<br>औद्योगिक इंजीनियरिंग<br>मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग<br>प्रोडक्शन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग<br>औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट<br>मैनुफैक्चरिंग साइंस एवं इंजीनियरिंग<br>मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस एवं ऑटोमेशन इंजीनियरिंग<br>मैकेनिकल स्टीम – प्रोडक्शन इंजीनियरिंग<br>औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं ऑपरेशंस रिसर्च                                                                          |

|          |                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मैकेनिकल | मैकेनिकल<br>मैकेनिकल एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग<br>मैकेनिकल एवं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग<br>मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग<br>मैकेनिकल एवं ऑटोमेशन इंजीनियरिंग |
| मेटलर्जी | मेटलर्जी<br>मैटेरियल्स एवं मेटलर्जी<br>मेटलर्जी एवं मैटेरियल्स इंजीनियरिंग<br>मेटलर्जी एवं मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी<br>मेटलर्जी एवं मैटेरियल साइंस         |

**नोट:1** उपर्युक्त इंजीनियरिंग विषयों की शाखाओं के अतिरिक्त, एचएएल को यह अधिकार है कि वह उसी इंजीनियरिंग विषय की किसी अन्य शाखा में डिग्री की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी अल्पावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालक के पदों के लिए पात्र मानने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि वे अन्य निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। तथापि, ऐसे मामलों में डिग्री/अनंतिम प्रमाण-पत्र में उपर्युक्त उल्लिखित विषय या शाखाओं में से किसी एक का उल्लेख होना चाहिए।

**नोट:2** एमएचआरडी के कार्यालय ज्ञापन संख्या F. No. 11-15/2011-AR(TS.II) दिनांक 06.12.2012 के अनुसार, व्यावसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की मान्यता दिनांक 01.06.2013 से समाप्त कर दी गई है। अतः दिनांक 31.05.2013 तक इन पाठ्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थी ही इंजीनियरिंग में डिग्री के समकक्ष योग्यता के रूप में विचार किए जाने के पात्र होंगे तथा दिनांक 01.06.2013 या उसके बाद इन पाठ्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

- 3.2 **समग्र अंकों का प्रतिशत:** अल्पावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थियों ने अपनी संबंधित शैक्षणिक योग्यता की परीक्षाओं में सभी सेमेस्टर्स/वर्षों के कुल अंकों अथवा उसके समतुल्य सीजीपीए रेटिंग/ग्रेडिंग में निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए होने चाहिए:

| पद का नाम                            | समग्र अंकों का प्रतिशत                        |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                      | यूआर/ ओबीसी-<br>एनसीएल/ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी | एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी<br>के अभ्यर्थी |
| अल्पावधि आधार पर कनिष्ठ<br>कार्यपालक | 60%                                           | 50%                                    |

नोट: सभी सेमेस्टर्स/वर्षों के कुल अधिकतम अंकों तथा प्राप्त कुल अंकों को जोड़कर अंकों का समग्र प्रतिशत निकाला जाएगा तथा इसमें किसी प्रकार की राउंडिंग ऑफ नहीं की जाएगी। किसी विशेष सेमेस्टर या वर्ष को कोई भारिता (वेटेज) नहीं दिया जाएगा।

- 3.3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय, जो संभावित रूप से नवंबर 2026 के दौरान आयोजित किया जाना निर्धारित है, निर्धारित न्यूनतम समग्र प्रतिशत अंकों के साथ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- 3.4 डिप्लोमा तथा संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अर्हक अंकों के रूप में इंजीनियरिंग डिग्री के अंक दर्ज करना आवश्यक है।
- 3.5 संबंधित इंजीनियरिंग विषय एवं शाखा में 5/6 वर्षीय एकीकृत डिग्री धारक अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं।
- 3.6 जहाँ कहीं अर्हक डिग्री में सीजीपीए, लेटर ग्रेड आदि प्रदान किए गए हों, वहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों के समतुल्य प्रतिशत को आवेदन पत्र में दर्शाना होगा। यदि अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के समय इस संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान से रूपांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 3.7 उपर्युक्त दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता का तात्पर्य केवल उपर्युक्त सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों से नियमित या पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता से होगा। नियमित या पूर्णकालिक के अलावा किसी अन्य माध्यम से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस अधिसूचना में विज्ञापित किसी भी पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। दूसरे शब्दों में, पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा/अंशकालिक/ई-लर्निंग के माध्यम से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं को नियमित/पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं माना जाएगा।
- 3.8 जहाँ कहीं इस विज्ञापन में विज्ञापित किसी विशेष पद के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के पास विशेषज्ञता होना आवश्यक

है, वहाँ ऐसी योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण-पत्र में संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त किए जाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में संबंधित संस्थान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### 4 आयु संबंधी मानदंड एवं छूट:

- 4.1 अधिकतम आयु सीमा: यूआर एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 17 अक्टूबर, 2026 को अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4.2 यूआर पद के लिए आवेदन करने वाले ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूआर मानदंड के समान माना जाएगा।
- 4.3 एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी जिस जाति/जनजाति से संबंधित है, उसका नाम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संबंधित राज्य की एससी/एसटी की केंद्रीय सूची में होना चाहिए। जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र में जारी करने की तारीख का उल्लेख होना चाहिए तथा जाति/जनजाति का नाम केंद्रीय सूची में उल्लिखित नाम के बिल्कुल उसी प्रकार अंकित होना चाहिए।
- 4.4 ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी जिस जाति से संबंधित है, उसका नाम भारत सरकार के अधीन पदों तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संबंधित राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में होना चाहिए। प्रमाण-पत्र में जारी करने की तारीख का उल्लेख होना चाहिए तथा जाति का नाम केंद्रीय सूची में उल्लिखित नाम के बिल्कुल उसी प्रकार अंकित होना चाहिए।
- 4.5 ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैध होना चाहिए तथा इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय एवं संपत्ति के सत्यापन के आधार पर तैयार किया गया होना चाहिए।
- 4.6 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अनुमन्य छूट के अतिरिक्त होगी।
- 4.7 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जो दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामान्यतः अधिवासी रहे हों, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 4.8 भूतपूर्व सैनिकों तथा सशस्त्र बलों (अर्थात् भारतीय वायु सेना, भारतीय थल सेना एवं भारतीय नौसेना) के सेवारत अधिकारियों के लिए आयु सीमा में छूट कंपनी के नियमों के अनुसार दी जाएगी।
- 4.9 सभी लागू आयु संबंधी छूट प्रदान किए जाने के पश्चात अभ्यर्थी की आयु पीडब्ल्यूबीडी के लिए 56 वर्ष तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### 5: नियुक्ति की अवधि

5.1 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल आधार पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्वतः समाप्त हो जाएगी। कार्यकाल में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अल्पावधि नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस अवधि के बदले मूल वेतन + महंगाई भत्ते का भुगतान करके नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

5.2 ऐसे सभी कार्मिकों से कार्यभार ग्रहण करते समय एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी कि उन्होंने इस तथ्य को समझते हुए नियुक्ति स्वीकार की है कि यह नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है तथा 3 वर्ष की अवधि के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगी।

5.3 चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती कंपनी के प्रभागों/बेसों/कार्यालयों में की जाएगी। तथापि, संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें ऐसे किसी भी स्थान पर स्थानांतरित/तैनात/कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता है, जहाँ एचएएल के प्रभाग/कार्यालय/बेस स्थित हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात तैनाती में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 6: पारिश्रमिक एवं लाभ

6.1 अल्पावधि आधार पर नियुक्त कार्मिकों को डीपीई के ई0 वेतनमान (2017) अर्थात ₹30,000-1,20,000/- में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें निम्नलिखित वेतन एवं भत्ते देय होंगे:

- i) मूल वेतन @ ₹30,000/-;
- ii) मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (त्रैमासिक रूप से संशोधित);
- iii) शहरों के वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ता (जब कंपनी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है);
- iv) मूल वेतन के 35% की दर से कैफेटेरिया भत्ता।

6.2 दूसरे एवं तीसरे वर्ष में मूल वेतन पर 3% की वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

6.3 अन्य लाभ/भत्ते:

- ए) ₹10 लाख तक के चिकित्सा बीमा कवरेज के लिए अधिकतम ₹25,000/- प्रति वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। बीमा पॉलिसी लिए जाने का प्रमाण नियुक्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन कार्मिकों को कंपनी के आईएचसी/औषधालयों में किसी अन्य चिकित्सा सुविधा का लाभ देय नहीं होगा।
- बी) नियमित अधिकारियों के लिए लागू आकस्मिक अवकाश, अवकाश, प्रतिपूरक अवकाश तथा अवकाश नकदीकरण (कार्यकाल की समाप्ति/नियुक्ति समाप्ति पर) देय होंगे।
- सी) नियमित अधिकारियों के लिए लागू वर्दी, सिलाई शुल्क एवं जूता भत्ता देय होंगे।
- डी) नियमित अधिकारियों के लिए लागू मातृत्व लाभ, क्रेच सुविधा एवं पितृत्व अवकाश देय होंगे।
- ई) नियमों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान किया जाएगा तथा एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने की शर्त पर, कार्यकाल की समाप्ति अथवा त्यागपत्र, सेवा समाप्ति आदि के कारण कार्यकाल समाप्त होने पर, आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
- एफ) ग्रेड-1 में नियमित अधिकारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा, अस्थायी ड्यूटी एवं स्थानांतरण) देय होंगे।
- जी) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कार्मिकों को नियमित अधिकारियों के लिए लागू निम्नलिखित भत्ते/लाभ प्रदान किए जाएंगे:
  - i. दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित कार्मिकों के लिए विशेष भत्ता तथा दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/मूक-बधिर कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता (यथालागू);
  - ii. विशेष आकस्मिक अवकाश।
- एच) स्वयं के लिए समय-समय पर चिकित्सा जांच की सुविधा।
- आई) कंपनी आवास, जहाँ भी उपलब्ध हो।

## 7: अन्य नियम एवं शर्तें

- 7.1 अल्पावधि आधार पर की गई नियुक्ति से कार्मिकों को कंपनी के नियमित कार्यपालक के रूप में नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 7.2 अल्पावधि आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यपालक कंपनी के विभिन्न नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे, जैसे एचएएल सीडीए नियम, अन्य विभागों/प्रभागों/स्थानों पर स्थानांतरणीयता, कार्य निष्पादन न करने या खराब कार्य निष्पादन के कारण अथवा बिना कोई कारण बताए अनुबंध की समाप्ति आदि।
- 7.3 अल्पावधि आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यपालक उपर्युक्त उल्लिखित के अतिरिक्त किसी अन्य भत्ते या लाभ के हकदार नहीं होंगे।

## 8: आवेदन शुल्क का भुगतान

- 8.1 आवेदन शुल्क के रूप में ₹500/- (केवल पाँच सौ रुपये) का भुगतान किया जाना है। ₹500/- का आवेदन शुल्क 18% जीएसटी सहित है। अपेक्षित आवेदन शुल्क के बिना प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा ऐसे मामलों में कोई धनवापसी देय नहीं होगी। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

- 8.2 कंपनी के खाते में एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी किसी भी कारणवश पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ रहे। अतः आवेदन शुल्क जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।
- 8.3 आवेदन शुल्क का भुगतान: आवेदन पत्र भरने के पश्चात, अभ्यर्थियों (यूआर/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) को 'HAL CHRC RECRUITMENT 2026-27' के रूप में उल्लिखित एचएएल खाते के विवरण वाले ऑनलाइन भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे भुगतान पृष्ठ पर मांगे गए विवरण, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल, जन्म तिथि, शुल्क राशि आदि दर्ज करें और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ।
- 8.4 भुगतान के पश्चात, अभ्यर्थी (यूआर/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) को भुगतान के सत्यापन तथा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि के लिए 48-72 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी। भुगतान के सफल सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी अंतिम रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रावधान एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।

## 9: आवेदन कैसे करें

- 9.1 विज्ञापित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ₹500/- का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- 9.2 किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 9.3 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन विंडो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् **17.10.2026** को 14:00 बजे बंद हो जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे **17.10.2026 (14:00 बजे) या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन** प्रस्तुत कर दें।
- 9.4 यह ध्यान दिया जाए कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र में घोषित/दर्शाए गए सभी विवरणों के संबंध में मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- 9.5 आवेदकों को केवल उस इंजीनियरिंग विषय के लिए आवेदन करना चाहिए जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के मानदंड से सर्वोत्तम रूप से मेल खाता हो या उसके अनुरूप हो। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदक केवल **एक इंजीनियरिंग विषय** के लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी उनका आवेदन वैध माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी आवेदन सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे और भुगतान किया गया आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही विषय के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- 9.6 एक बार आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसमें किसी भी परिस्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता। आवेदन पत्र में एक बार दर्ज या घोषित किए गए किसी भी विवरण, प्रमाण-पत्र अथवा सूचना में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में दी गई सभी सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं।
- 9.7 अभ्यर्थियों के पास एक वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी होना आवश्यक है, जिसे आवेदन में दर्ज किया जाना है, ताकि चयन के आगामी चरणों, जैसे चयन साक्षात्कार आदि के संबंध में सूचना उसी ई-मेल आईडी पर भेजी जा सके। किसी भी कारणवश अभ्यर्थियों को भेजे गए ई-मेल संदेशों की डिलीवरी न होने के लिए एचएएल उत्तरदायी नहीं होगा। बाद के चरण में मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 10: पंजीकरण प्रक्रिया

- 10.1 आवेदन पंजीकृत करने से पहले, अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

- ए. ऐसा वैध ई-मेल आईडी, जो चयन प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रहना चाहिए;
- बी. नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी (ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करने हेतु क्रमशः jpg फाइल में 100 KB एवं 50 KB से कम आकार की);
- सी. शैक्षणिक विवरण, जैसे सेमेस्टरवार अंक आदि;
- डी. रोजगार संबंधी विवरण (यदि लागू हो)।

10.2 पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन एचएएल की वेबसाइट अर्थात [www.hal-india.co.in](http://www.hal-india.co.in) के **Careers** अनुभाग के माध्यम से दिनांक **07.10.2026 (14:00 बजे) से 17.10.2026 (14:00 बजे)** तक किया जा सकता है। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.3 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने तथा एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने के चरण निम्नानुसार हैं:

**चरण-1:** पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी को [www.hal-india.co.in](http://www.hal-india.co.in) के **Careers** अनुभाग में दिए गए **Engagement of Junior Executives on Short Term Basis-2026** लिंक पर क्लिक करना होगा।

**चरण-2:** पात्रता संबंधी विवरण सही-सही भरना आवश्यक है। पात्रता संबंधी विवरण प्रस्तुत करने पर एक विशिष्ट आवेदन संख्या उत्पन्न होगी तथा अभ्यर्थी को व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण भरने वाले पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा। पात्रता संबंधी विवरण एक बार प्रस्तुत करने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदन संख्या उत्पन्न होने के पश्चात अभ्यर्थी के पास आवेदन को आगे पूरा करने के लिए पुनः लॉग-इन करने का विकल्प होगा।

**चरण-3:** विस्तृत विज्ञापन में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र के सभी संबंधित विवरण, अर्थात व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता आदि, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे जाने चाहिए। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उपलब्ध **Edit** विकल्प/बटन का उपयोग करके प्रस्तुत किए गए विवरणों में संशोधन कर सकता है।

ए) एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता आदि विवरण प्रस्तुत करने पर पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन की पुष्टि पृष्ठ पर पूर्ण हो जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

बी) यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता आदि विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हें एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा।

**चरण-4: (केवल यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए)** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई आदि में से अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का चयन करके आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान के उचित सत्यापन में 48 से 72 घंटे लगने की संभावना है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विवरण/क्रेडेंशियल के साथ आवेदन पृष्ठ पर तदनुसार पुनः लॉग-इन करें।

**नोट:** एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस लेने की अनुमति नहीं होगी तथा किसी भी परिस्थिति में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की पुष्टि पृष्ठ का प्रिंट लेना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान तथा उपर्युक्त प्रक्रिया को अंतिम तिथि एवं समय से काफी पहले पूरा कर लें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर अधिक भार या वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण वेबसाइट से कनेक्शन टूटने/लॉग-इन करने में असमर्थता/विफलता की संभावना से बचा जा सके। आवेदन शुल्क का भुगतान न करने तथा उपर्युक्त चरणों को पूरा न करने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## 11: चयन प्रक्रिया

11.1 अभ्यर्थियों का चयन केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

11.2 निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने हेतु विचार किया जाएगा।

- 11.3 अभ्यर्थियों को अर्हक पाठ्यक्रम/परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, प्रत्येक इंजीनियरिंग विषय एवं श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के अधिकतम 1:10 के अनुपात में, मेरिट के क्रम में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। प्रत्येक इंजीनियरिंग विषय/पद के सभी अनारक्षित अभ्यर्थियों तथा प्रत्येक विषय से संबंधित एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है, को एक साथ समूहित किया जाएगा और तत्पश्चात मेरिट के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तथा उन्हें यूआर श्रेणी में 1:10 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें यूआर श्रेणी के अंतर्गत साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, को उनकी संबंधित श्रेणियों में पुनः समूहित किया जाएगा तथा संबंधित श्रेणी में 1:10 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अर्हक परीक्षा में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। संपूर्ण चयन प्रक्रिया (अर्हक अंकों सहित) कंपनी के समय-समय पर संशोधित वर्तमान भर्ती नियमों (भर्ती मैनुअल) द्वारा नियंत्रित होगी। प्रत्येक इंजीनियरिंग विषय के लिए अधिसूचित पदों की संख्या के विरुद्ध अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।)
- 11.4 साक्षात्कार की तारीख, समय एवं स्थान की सूचना केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची एचएएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 11.5 अधिसूचित पदों पर चयन हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आकलन चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- 11.6 केवल विज्ञापन में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता (कार्यपालक के रूप में) को पूरा करने मात्र से आवेदन को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 11.7 आयु की गणना केवल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा अर्ध-सरकारी संगठनों अथवा सशस्त्र बलों अथवा अर्धसैनिक बलों आदि में नियमित या संविदात्मक या अनुबंध आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की स्थिति में, दस्तावेज सत्यापन के समय अपने संबंधित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा। तथापि, यदि किसी अभ्यर्थी की वर्तमान सेवा के नियम एवं शर्तों के अनुसार एनओसी का प्रावधान लागू नहीं होता है, तो इस संबंध में संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र साक्षात्कार से पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी, जहाँ लागू हो, दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी अथवा उपयुक्तानुसार एनओसी की अनुपयुक्तता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा वे यात्रा भत्ते के भुगतान/प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।
- 11.8 एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी (40% या उससे अधिक दिव्यांगता) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय, यथालागू निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र/आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 11.9 इन रिक्तियों को केवल बाहरी अभ्यर्थियों द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना निर्धारित किया गया है। अतः आंतरिक अभ्यर्थियों के आवेदन, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.10 संपूर्ण चयन प्रक्रिया कंपनी के वर्तमान भर्ती नियमों द्वारा नियंत्रित होगी।
- 11.11 यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत या अपूर्ण पाई जाती है (जिसमें जानकारी छिपाना भी शामिल है) अथवा वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं है, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा भर्ती/कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसी भी समय, अभ्यर्थी की नियुक्ति/नियोजन को निरस्त या समाप्त किया जा सकता है और इस संबंध में अभ्यर्थी को कोई पूर्व संदर्भ/सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

### 13: नियुक्ति-पूर्व चिकित्सा मानदंड

- 13.1 एचएएल द्वारा अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों, जिनमें पीडब्ल्यूबीडी भी शामिल हैं, को एचएएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियुक्ति-पूर्व चिकित्सा जांच से गुजरना होगा।

- 13.2 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उन्हें कंपनी द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंपनी के चिकित्सा मानदंडों के अनुसार कंपनी के चिकित्सक से संतोषजनक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन होगी।
- 13.3 इस संबंध में कंपनी के चिकित्सक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 13.4 स्वास्थ्य मानदंडों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के वर्तमान नियुक्ति-पूर्व चिकित्सा मानदंडों को ध्यानपूर्वक देख लें।
- 13.5 इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूबीडी के मामले में, दिव्यांगता के संबंध में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता का निर्णय बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए विशेष रोजगार विनिमय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा और तब तक अल्पावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालक के रूप में एचएएल में उनकी नियुक्ति अनंतिम रहेगी। चयनित पीडब्ल्यूबीडी का नियोजन कंपनी के नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगा।

#### 14 सामान्य शर्तें

- 14.1 केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- 14.2 आवेदकों को केवल उस इंजीनियरिंग विषय के लिए आवेदन करना चाहिए जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के मानदंड से सर्वोत्तम रूप से मेल खाता हो या उसके अनुरूप हो। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदक केवल **एक इंजीनियरिंग विषय** के लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी उनका आवेदन वैध माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी आवेदन सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे और भुगतान किया गया आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही विषय के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- 14.3 इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिग्री हेतु अंशकालिक/पत्राचार/ई-लर्निंग/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- 14.4 यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ कहीं अर्हक डिग्री में सीजीपीए, लेटर ग्रेड आदि प्रदान किए गए हों, वहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों के समतुल्य प्रतिशत को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया होगा। यदि अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के समय इस संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान से रूपांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 14.5 आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों एवं अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। कंपनी के वर्तमान नियमों के अनुसार यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपात्र पाया जाता है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो एचएएल को उसका आवेदन किसी भी चरण में अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- 14.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार भरी गई श्रेणी (अर्थात् एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस/यूआर) में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा बाद में किसी अन्य श्रेणी का कोई लाभ देय नहीं होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, यदि उन्हें बुलाया जाता है, तो नवंबर 2026 के दौरान संभावित रूप से निर्धारित साक्षात्कार के समय भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/आय एवं संपत्ति/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यथालागू, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 14.7 चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन, यथालागू, संबंधित प्राधिकारियों से जाति/आय एवं संपत्ति/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगा, जो कंपनी के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- 14.8 अल्पावधि आधार पर कनिष्ठ कार्यपालक के रूप में नियुक्ति से कार्मिकों को कंपनी के नियमित कार्यपालक के रूप में नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

- 14.9 चयनित अभ्यर्थी कंपनी के विभिन्न नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे, जैसे एचएएल सीडीए नियम, अन्य विभागों/प्रभागों/स्थानों पर स्थानांतरणीयता, कार्य निष्पादन न करने या खराब कार्य निष्पादन के कारण अथवा बिना कोई कारण बताए अनुबंध की समाप्ति आदि।
- 14.10 एचएएल को बिना कोई अतिरिक्त सूचना जारी किए अथवा कोई कारण बताए, विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया और/या उसके अंतर्गत चयन प्रक्रिया को रद्द/सीमित/बढ़ाने/संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार होगा। अधिसूचित रिक्तियों की संख्या कंपनी के विवेकानुसार बिना कोई कारण बताए बढ़ाई/घटाई/रद्द की जा सकती है।
- 14.11 चयन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी केवल एचएएल की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। **शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल एचएएल की वेबसाइट पर अपलोड/प्रकाशित किया जाएगा।** अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए एचएएल की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
- 14.12 अभ्यर्थी के साथ सभी पत्राचार आवेदन में उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और/या ई-मेल आईडी पर किया जाएगा। संचार का कोई अन्य माध्यम नहीं अपनाया जाएगा।
- 14.13 भर्ती/चयन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने या अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करने पर अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
- 14.14 चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती कंपनी के किसी भी प्रभाग/अनुसंधान एवं विकास केंद्र/कार्यालय में की जा सकती है।
- 14.15 किसी भी विवाद/मामले के लिए क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बेंगलुरु में होगा।
- 14.16 यदि कोई विशेष प्रश्न उपर्युक्त में शामिल नहीं है, तो अभ्यर्थी एचएएल को [recruitment.chrc1@hal-india.co.in](mailto:recruitment.chrc1@hal-india.co.in) पर लिख सकते हैं। संचार के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 14.17 इस चयन से संबंधित सभी आगामी घोषणाएँ/विवरण केवल एचएएल की वेबसाइट [www.hal-india.co.in](http://www.hal-india.co.in) पर प्रकाशित/प्रदान किए जाएंगे।
- 14.18 इस विज्ञापन में सूचीबद्ध पद के लिए आवेदन करके, अभ्यर्थी इसमें उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए अपनी स्वीकृति एवं सहमति व्यक्त करते हैं।
- 14.19 आवेदन पत्र, विज्ञापन आदि में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के संस्करणों की व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार की अस्पष्टता/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

**महत्वपूर्ण:** अभ्यर्थियों को आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले उसमें भरे गए सभी विवरणों की पुनः जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन/सुधार संभव नहीं होगा।

अभ्यर्थियों को फर्जी ई-मेल, व्हाट्सएप संदेश, एसएमएस तथा इस प्रकार के अन्य फर्जी संचार से सावधान रहना चाहिए और एचएएल में रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति/एजेंसी को कोई भुगतान नहीं करना चाहिए।